बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०–05–40 / 2024..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर के पत्रांक–298 दिनांक–08.07.2024 द्वारा श्री मनोज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर के विरूद्ध आरोप–पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। उक्त आरोप–पत्र पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 737 दिनांक 09.09.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं रहने एवं विस्तृत जाँच की आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 37 दिनांक 09.01.2025 द्वारा श्री कुमार को विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 374 दिनांक 18.12.2025 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 37 दिनांक 09.01.2025 के द्वारा गठित आरोपों में से पाँच आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 83 दिनांक 12.01.2026 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी, श्री कुमार के पत्रांक 57 दिनांक 27.01.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

आरोपी पदाधिकारी, श्री मनोज कुमार के विरूद्ध आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत वस्तुस्थिति निम्नवत् हैः–

1. बी०आर०सी० में अवितरित FLN Kit भण्डारित पाये जाने के संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बोतलों को कार्टून में अलग से सुरक्षित रखा गया था, जिसका निरीक्षण उच्चस्तरीय पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा सका। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने लिखित अभ्यावेदन में अंकित किया गया कि किट को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए बोतलों को अलग कार्टून में रखा गया। परंतु निरीक्षण के समय उक्त संबंध में उच्चाधिकारी को इससे से अवगत नहीं कराया गया। यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

2. विद्यालय में अतिरिक्त पाठ्य–पुस्तक भण्डारित पाये जाने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया गया कि पाठ्य–पुस्तकों की मांग शैक्षणिक

सत्र के आरंभ में नामांकन के आधार पर की जाती है तथा यदि सत्र के बीच में छात्र पलायन कर जाते हैं या विद्यालय छोड़ देते हैं, तो पुस्तकों का अधिशेष होना एक स्वभाविक प्रक्रिया है। आरोपी पदाधिकारी का अभिकथन कि प्रत्येक विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर का प्रतिदिन मिलान करना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए मानवीय रूप से संभव नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है; क्योंकि अपने प्रखंड के अधीन प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की मुख्य जिम्मेवारी है। अगर इनके द्वारा इस उत्तरदायित्व का समुचित निर्वहन किया जाता तो किसी विद्यालय में अधिशेष पाठ्य–पुस्तक नहीं होता और जिन विद्यालयों में पाठ्य–पुस्तक की कमी होती वहाँ समायोजित कर दिया जाता।

3. विद्यालय में अधिकांश बच्चों का पोशाक में नहीं होने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी द्वारा स00पष्ट किया गया है कि बिहार सरकार की डी०बी०टी० नीति के तहत पोशाक की राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में भेजी जाती है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट करना कि पोशाक क्रय करने का अधिकार और दायित्व पूर्णतः अभिभावकों का है तथा विद्यालय प्रशासन या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पास ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है, जिससे वे अभिभावकों को राशि खर्च करने के लिए बाध्य कर सकें या बिना पोशाक के छात्रों को विद्यालय आने से रोका जा सके, यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है; क्योंकि विद्यालय के प्रशासन एवं अनुश्रवण का दायित्व प्रधानाध्यापक के साथ–साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का भी है। इनके द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयास से संबंधित कोई भी तथ्य अंकित नहीं किया गया है। अभिभावक और बच्चे को जागरूक कर सभी बच्चे को पोशाक की उपलब्धता इनका उत्तरदायित्व है।

उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि इनके द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है। अतः सम्यक् विचारोपरांत श्री मनोज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर को आरोप वर्ष 2024–25 के लिए **'निन्दन'** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। उक्त दण्ड की प्रविष्टि संबंधित वर्ष की चरित्र पुस्त में की जायेगी।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–

(विक्रम विरकर)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–08/आ०–05–40/2024....501..../ पटना, दिनांक–16.04.2026

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, भोजपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), भोजपुर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री मनोज कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बिहियाँ, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।